

छत्तीसगढ़ शासन

.....विभाग

प्रत्याभूति हेतु आवेदन-पत्र

1. उधार लेने वाली संस्था का नाम :-
2. उधार देने वाली संस्था का नाम :-
3. उधार लेने के लिये प्रस्तावित रकम जिसके लिये प्रत्याभूति चाही गई है :-
4. ब्याज दर :-
5. लोक हित जिसकी कि उधार द्वारा पूर्ति की जाना प्रस्तावित है :-
6. प्रतिसंदाय की कालावधि तथा अनुसूचि :-
7. क्या प्रत्याभूति की आवश्यकता केवल मूलधन के भुगतान के लिये है या मूलधन तथा ब्याज दोनों के भुगतान के लिए :-
8. उस संस्था के जिससे कि उधार लेने के लिये आवेदन किया जाना प्रस्तावित है और अन्य संस्था या सरकार के उधार जो कि उधार लेने वाली संस्था के नामे पहले से ही बकाया है तथा उनके प्रतिसंदाय की अनुसूचि :-
9. विद्यमान उधार के प्रतिसंदाय में व्यतिक्रम का, यदि कोई हो, ब्यौरा :-
10. नकदी प्रवाह का विवरण जिसमें यह उपदर्शित किया गया हो कि विद्यमान उधारों तथा प्रस्तावित उधार का किस प्रकार प्रतिसंदाय किया जाना है :-
11. उधार लेने वाली संस्था की वित्तीय प्रास्थिति जैसी कि पिछली 3 वर्षों के उसके व्यापारिक लेखों, लाभ तथा हानि खातों, तुलन पत्र में उपदर्शित की गई है :-

